सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: **NCST/ATY-308/CG/3/2022-APCR (RU-I)** — **दिनांक: 02.06.2025**

श्री मयंक चतुर्वेदी,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायगढ़,
कलेक्टर कार्यालय,
रायगढ़ 496001, छत्तीसगढ़
ई-मेल: raigarh.cg@nic.in

श्री दिव्यांग कुमार पटेल,
पुलिस अधीक्षक,
जिला-रायगढ़,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
रायगढ़-496001, छत्तीसगढ़,
ई-मेल: sp-raigarh.cg@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति महिला के साथ जातीय उत्पीड़न , जमीन पर जबरन कब्जा करने एवं आरोपी गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने के संबंध मे श्रीमति चारमती, पति श्री घासराय, ग्राम व पोस्ट-खम्हार, तहसील-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 08.04.2022 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 17.06.2025 को दोपहर पश्चात** सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

श्रीमति चारमती,
पति श्री घासराय,
ग्राम व पोस्ट-खम्हार, तहसील-धरमजयगढ़,
जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।